न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज

प्र० क्र० 90/19
पायरा दिनांक 23/9/19
निर्णय दिनांक 2/12/19

-बउवान

1. सुरज सिंह चौधरी उम्र 21 वर्ष पुत्र शम्भु सिंह जाति जाट निवासी किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)

-वादी-

-बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)

-प्रतिवादी-

-दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 188 RTA

-निर्णय दि० 2/12/19

-वादी की ओर से वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 89 188 RTA जरिये अभिभाषक विषय समक्ष मांगर पेश किया। वादी ने वादपत्र में कथन किया।

1. यह कि ग्राम सालेपुरा पटवार हल्का कानडंद तहसील किशनगंज जिला बारां में खाता संख्या नई 81 पुरानी 81 खसरा नं० 179/145 रकबा 08 बीघा 10 बिघा स्थित है। जो वादी के समस्त खोते में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसको वादपत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि विवादित आराजी वादि के पिता ने वादी की नाबालिग अवस्था में जर्ये वसीयत पिता सुरज शम्भु दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

स्वीकार कर जयें संलग्नित विभिन्न पत्र में दर्शा
वादी का परिवार में सम्बोधित। बोलता नाम
लिखा दिया और इन्तकाल खोलते समय राजस्व
में यथावत दर्ज कर नामान्तकरण तामील कर
दिया तब से आज दिन तक राजस्व रिकार्ड में य
यथावत नाम० पुत्र श्रम्भुसिंह जयें वल्दियत
पढ़ा आ रहा है। जबकि वादी का सही व वास्त
सुरजसिंह चौधरी है। उक्त त्रुटी अज्ञानतावश
हुई है। जिसके वादी सही करवा कर दखल
का अधिकारी है। और वादी बालिग हो गय
इसलिये नाबालिग अवस्था को हटवाकर वा
दर्ज करवाने का अधिकारी है।

(3) यह कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अलावा
समस्त सरकारी दस्तावेजों जैसे भारतीय विशिष्ट प
प्राधिकरण द्वारा जारी वादी के आधारकार्ड एवं भार
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
सरकार द्वारा जारी परिवार राशनकार्ड तथा भामाश
एवं समस्त वैधानिक रिकार्ड में वादी का वास्तविक
सुरजसिंह चौधरी ही अंकित है।

(4) यह कि वादी का नाम राजस्वरिकार्ड में यथावत
अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजों एवं वैधानिक रिकार्ड
सुरजसिंह चौधरी होने के कारण वादी अपने
की विवादित भूमि में कृषि विकास कार्य जैसे बोर
नहरी पम्प मेक्सी के कार्य नहीं करवा पाना
कनेक्शन नहीं करवा पाना बैंक सम्बन्धी कार्यों
में वादी को असुविधा का सामना करना पड़ता है
एवं वादी एवं उसके बोलते नाम दर्ज हो जाने के
वादी को अनेक परेशानियों उठानी पड़ रही है। ऐसी
परिस्थिति में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में पुरातन
सही दर्ज किया जाना आवश्यक है।

यह कि वादी ने अपना नाम शक्तिमान के स्थान पर सूरजसिंह चौधरी सही करवाने के लिये प्रतिवादी से भी निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने भी उक्त नाम सही करने मे दिनांक 18/9/19 को असमर्थता जाहिर की तथा अपमान न्यायालय मे उक्त कार्यवाही के लिये इस कारण वाद पत्र पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ है।

यह कि प्रतिवादी विवादित भूमि का सुप्रिमलेस होल्डर है जिसका दिनांक 18/9/19 को अवैध 2 माह का प्रेषित किया जा चुका है। लेकिन वाद अर्जेन्ट एवं इमिजिएट नेचर का होने के कारण नोटिस मियाद पूर्ण होने से पूर्व ही प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद पत्र पेश करने की अनुमति देते द्वारा 80(2) C.P.C. का तामिनापत्र वादपत्र के साथ संलग्न है।

यह कि वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधी मध्य पेश है।

यह कि वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे प्रस्तुत है।

अतः तामिना पत्र पेश कर निवेदन है कि डिक्री वाद हक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावे कि

(1) चौकेग्राम लालपुरा स्थित आराजी खा० नं० 179/145 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा मे वादी का नाम शक्तिमान के स्थान पर सूरजसिंह चौधरी दर्ज किया जावे

(2) कि चौकेग्राम लालपुरा मे स्थित आराजी खा० नं० 179/145 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा मे वादी को नाबालिग

न्यायाधिकारी
किशनगढ़, जिला टोंक (राज.)

नोट:- इस खाने के आगे का [illegible]

Scanned by CamScanner

से बालिग दर्ज किया जावे।
रिपोर्ट तलब की गई। समरण दर्ज होकर प्रतिवादी की तलबी हेतु नोटिस सम्मन
किये नियत तिथि को प्रतिवादी स्वयं उपस्थित
वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी
दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वादपत्र में संशोधन
को दोहराया और वादपत्र को स्वीकार
निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया
पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वर्ष
लाला पुरा सम्वत 2072-75, अन्य सरकारी
यथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज० अकतालिका, जो
पहचान पत्र शपथपत्र का गहनता से
अध्ययन किया गया। अधोपान्त विवेचना
वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 188
स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय का नि
पारित किया जाता है कि :-

- "डिक्रीमात्मक आदेश" :-

कोकसि लालापुरा में स्थित आराजी
179/145 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा में वादी
नाम शक्तिमान के स्थान पर सुरजसिंह चौ
दर्ज किये जाने एवं नाबालिग के स्थान पर
दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार
को दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्याप्त
हो। निर्णय आज दिनांक 21/12/19 को
सरेइजलास सुनाया गया।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2020.02.07 14:41:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: